इकाई 11 यूरोपीय संघ का विस्तार

संरचना

11.0 प्रस्तावना

11.1 उद्देष्य

11.2 पहला विस्तार (1973) : यूरोपीय समुदाय–6 से यूरोपीय समुदाय–9 तक

11.3 दूसरा विस्तार (1981) : यूरोपीय समुदाय–9 से यूरोपीय समुदाय–10 तक

11.4 तीसरा विस्तार (1986) : यूरोपीय समुदाय–10 से यूरोपीय समुदाय–12 तक

11.5 चौथा विस्तार (1995) : यूरोपीय समुदाय–12 से यूरोपीय संघ–15 तक

11.6 पाँचवा विस्तार (2004) : यूरोपीय संघ–15 से यूरोपीय संघ–25 तक

11.6.1 पूर्व दिषा विस्तार के प्रति यूरोपीय संघ की नीति

11.6.2 पूर्व दिषा विस्तार की समस्याएँ

11.6.3 पूर्व दिषा विस्तार का आषय

11.7 जर्मनी तथा पूर्व दिषा विस्तार

11.8 छठा विस्तार : यूरोपीय संघ–25 से यूरोपीय संघ–27 की ओर

11.8.1 यूरोपीय संघ की टर्की की सदस्यता

11.9 भावी विस्तार

11.10 सारांष

11.11 अभ्यास प्रष्न

11.12 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.0 प्रस्तावना

1957 में छह मूल सदस्यों (फ्रांस, जर्मनी, बैल्जियम, लग्ज़मबर्ग, नीदरलैण्ड तथा इटली) द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय में अब तक पाँच विस्तार हो चुके हैं। मई 2004 के अंत में विस्तार के पष्चात जब एक साथ 10 राज्यों को संघ में सम्मिलित किया गया था, छठा तथा आखिरी विस्तार एक जनवरी 2007 में हुआ जिसके द्वारा बुल्गारिया तथा रोमानिया को यूरोपीय संघ में सम्मिलित किया गया। अब यूरोपीय संघ के 25 सदस्य–राज्य हो गए। रोम की संधि के अनुच्छेद 237 के अनुसार "कोई भी यूरोपीय राज्य समुदाय की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है।

पुराने विस्तार सामान्यतः काफी कठिन रहे हैं तथा समुदाय एवं प्रार्थी–राज्य दोनों के अनुभव मिश्रित रहे हैं। ये विस्तार आर्थिक हितों (सांझे बाज़ार का विस्तार) तथा राजनीतिक महत्व (अनुभवहीन प्रजातांत्रिक) (fledgling democracies) राज्यों को सषक्त करते हुए यूरोप में "प्रजातंत्र के क्षेत्र" (democratic space) को बढ़ाने दोनों से प्रेरित थे। विस्तार के परिणामस्वरूप सामाजिक व क्षेत्रीय कोष (Social and Regional Funds) के बजट से काफी पैसा नए तथा गरीब सदस्य–राज्यों की तरफ हस्तांतरित हो रहा है। सांझी कृषि नीति (Common Agricultural Policy; CAP) के लिए भी विस्तार के परिणाम हानिकारक रहे हैं। निर्णय–निर्माण में नए प्रवेषकों की बढ़ती भूमिका ने भावी विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा नए प्रार्थियों के संदर्भ में अपने हितों की सुरक्षा करने के क़ाबिल बना दिया है।

यूरोपीय संघ के पहले चार विस्तारों (1973, 1981, 1986 तथा 1995) में कुछ मुद्दे तीव्र चर्चा का विषय रहे जैसे यूरोपीय आदर्ष के प्रति कटिबद्धता का स्तर, आर्थिक तथा राजनीतिक ससंगता (compatibility), वर्तमान नीतिगत संरचनाओं के लिए इनका तात्पर्य तथा "व्यापक" (widening) बनाम "गहरा" (deepening) में निरंतर वाद–विवाद। इस इकाई में हम विस्तार की प्रक्रिया तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

11.1 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएँगेः

- यूरोपीय संघ कें विस्तार की छह प्रक्रियाएँ;
- यूरोप के किन देषों ने कब और कैसे यूरोपीय संघ में प्रवेष किया;
- यूरोपीय संघ के विस्तार, विषेषतः पूर्व–दिषा में विस्तार, का निहितार्थ; और
- यूरोपीय संघ के विस्तार की भावी प्रवृत्तियाँ तथा संभावनाएँ (trends and possibilities)।

11.2 पहला विस्तार (1973) : यूरोपीय समुदाय–6 से यूरोपीय समुदाय–9 तक

डेनमार्क, आयरलैंड, नार्वे तथा ब्रिटेन ने 1963 में यूरोपीय समुदाय की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया परन्तु इनका अनुरोध मुख्यतः इस आधार पर अस्वीकार हो गया क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल चार्ल्स डि गाल (General Charles de Gaulle) ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी विस्तार से पहले विस्तार की कमजोर संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवष्यकता है। फ्रांस को इस बात की भी चिन्ता थी कि ब्रिटेन की सदस्यता समुदाय पर फ्रांस एवं जर्मनी के प्रभाव को कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त पेरिस को यह भी डर था कि ब्रिटेन तथा अमेरिका के शक्तिषाली सम्बन्ध यूरोपीय समुदाय के विष्व राजनीति में स्वतंत्र आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति बनने के प्रयत्नों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 1967 में इन चार प्रार्थियों ने दोबारा आवेदन पत्र दिया परन्तु डि गाल ने, समुदाय के अन्य पाँच सदस्यों की इच्छा के विपरीत, इस प्रस्ताव पर भी वीटो कर दिया। 1969 में डि गाल की सेवानिवृत्ति के बाद ही इन देषों की सदस्यता का रास्ता खुल सका। लम्बी चर्चाओं तथा समझौतों के बाद, 1971 में प्रथम विस्तार स्वीकार किया गया। हालाँकि डेनमार्क, आयरलैंड तथा ब्रिटेन 1 जनवरी 1973 को यूरोपीय समुदाय के सदस्य बन गए, परन्तु नार्वे ने जनमत संग्रह के बाद समुदाय में सम्मिलित न होने का निर्णय लिया, मुख्यतया इस कारण से कि इसकी सदस्यता से दूसरे स्कैन्डेनेवियन

(Scandinavian) देषों के साथ इसके सम्बन्ध खराब न हो जाएँ और इस डर से भी कि इसे अपनी लम्बी समुद्री तटरेखा के मत्स्य क्षेत्र तथा तेल एवं गैस स्रोतों के लिए कई तरह की रियायतें देनी पड़ सकती हैं।

आयरलैंड, जोकि अपेक्षाकृत अविकसित था, के विपरीत डेनमार्क तथा ब्रिटेन दोनों का आर्थिक ढाँचा यूरोपीय समुदाय के वर्तमान सदस्य–देषों से व्यापक स्तर पर मिलता–जुलता था जिसके परिणामस्वरूप इनका समावेषन एक पीड़ाहीन प्रक्रिया रहा। ब्रिटेन का यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनने से कॉमनवेल्थ देषों के खाद्यान्न निर्यातकों को नुक़सान उठाना पड़ा क्योंकि ब्रिटेन को अब सांझी कृषि नीति के नियमों का पालन करना पड़ रहा था। इन तीन नए सदस्य–राज्यों को यूरोपीय समुदाय के नियमों तथा नियमावलियों का तुरंत ही अनुसरण (immediately conform to the *acquis communautaire*) नहीं करना था, इसके लिए उन्हें संक्रामक समय (transition periods) दिया गया।

11.3 दूसरा विस्तार (1981) : यूरोपीय समुदाय–9 से यूरोपीय समुदाय–10 तक

यूरोपीय व्यापार के बढ़ते महत्व के चलते दक्षिण यूरोपीय देषों जैसे ग्रीस (जो 1962 तक सह–सदस्य था), स्पेन तथा पुर्तगाल (जिन्होंने 1970 तथा 1972 में यूरोपीय समुदाय के साथ विषेष व्यापार समझौते किए थे) ने यूरोपीय समुदाय के विस्तार के लिए दबाव डालना आरंभ कर दिया। जब 1970 के दषक के मध्य में तानाषाही शासनों का तख्ता पलट दिया गया तो इन नए परन्तु कमजोर प्रजातंत्रों को सुदृढ़ करने तथा बहुलवादी राजनीति को सषक्त करके "प्रजातांत्रिक क्षेत्र" का विस्तार करने की इच्छा प्रबल हो गई।

यूरोपीय समुदाय में ग्रीस के प्रवेष के लिए समझौता क्रिया अपेक्षाकृत पीड़ाहीन थी क्योंकि यह एक छोटी अर्थव्यवस्था थी और इसकी जनसंख्या भी केवल 90 लाख थी। इससे कोई भारी बोझ पड़ने वाला नहीं था सिवाय इसके कि वर्तमान भूमि से घिरे हुए देषों के कृषि उत्पादों जैसे शराब, जतून का तेल, नीबूवंष (citrus) के फलों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती थी। परन्तु यह औद्योगिक उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण नया बाज़ार भी था। इस

सब के पश्चात् भी ग्रीस तकनीकी एवं प्रषासनिक दृष्टिकोण से यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं था।

ग्रीस 1 जनवरी 1981 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का दसवाँ सदस्य बना। जहाँ इस सदस्यता के परिणामस्वरूप समुदाय की संरचनात्मक निधि (Structural Funds) तथा एकीकृत मेडिट्रेनियन कार्यक्रम (Integrated Mediterranean Programme) के अन्तर्गत काफी आर्थिक सहायता ग्रीस को हस्तांतरित की गई, वहाँ इसके द्वारा निर्मित उत्पादों में प्रभावषाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने की अयोग्यता भी खुलकर सामने आ गई। परिणामस्वरूप, ग्रीस की सदस्यता समुदाय तथा स्वयं ग्रीस के लिए एक कठिन अनुभव रही।

11.4 तीसरा विस्तार (1986) : यूरोपीय समुदाय–10 से यूरोपीय समुदाय–12 तक

पुर्तगाल तथा स्पेन ने 1977 में यूरोपीय समुदाय की सदस्यता के लिए आवेदनपत्र दिया। 1970 के दषक के अंतिम तथा 1980 के दषक के प्रारंभिक वर्षों में लगातार समझौता वार्ताएँ चलती रहीं परन्तु कई कारणों से इबराईन प्रायद्वीप (Iberian Peninsula) के इन देषों के आवेदनपत्रों पर विचार करने में कठिनाइयाँ आईं। इनमें प्रमुख : 1979–80 का तेल संकट, ग्रीस की सदस्यता से आने वाली कठिनाइयाँ, स्पेन की अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार तथा यूरोपीय समुदाय की संस्थाओं तथा नीतियों में सुधार लाने के लिए अत्याधिक दबाव आदि थी। स्पेन तथा पुर्तगाल में यूरोपीय समुदाय की सदस्यता को प्रजातांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा तानाषाही शासनों के दोबारा पनपने से रोकने के यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया।

आठ साल तक चली लम्बी समझौता वार्ताओं के बाद स्पेन तथा पुर्तगाल के साथ सम्मिलित संधि पर हस्ताक्षर हुए। घरेलू राजनीति तथा यूरोपीय समुदाय द्वारा आंतरिक सुधारों की आवष्यकता के कारण यह समझौता वार्ता थोड़ी जटिल हो गई। जहाँ ब्रिटेन तथा डेनमार्क का विचार था कि स्पेन तथा पुर्तगाल को सम्मिलित करके यूरोपीय समुदाय

को व्यापक बनाया जाए, वहाँ इटली और विषेषतया फ्रांस ने यूरोपीय समुदाय की गहराई पर बल दिया तथा पहले ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के बजट में योगदान पर हुए गतिरोध को हल करने की बात की। संरचनात्मक निधि से और अधिक राषि हस्तांतरित करने के ग्रीस के दबाव ने और कठिनाइयाँ खड़ी कर दी। इसके अलावा फ्रांस तथा इटली को अपने किसानों को स्पेन के मछली, फल तथा सब्जियों की शक्तिषाली प्रतिस्पर्धा से बचाने की चिन्ता थी। इसके अलावा स्पेन की शराब तथा जैतून के तेल उत्पादन के व्यापक प्रसार की चिन्ता सारे यूरोपीय समुदाय में व्याप्त हो गई। अन्ततोगत्वा 1985 में सम्मिलन संधि (Accession Treaty) पर हस्ताक्षर किए गए तथा स्पेन तथा पुर्तगाल 1 जनवरी 1986 को यूरोपीय समुदाय के सदस्य बन गए।

इस सम्मिलन संधि में दस साल के संक्रामक काल का प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत यूरोपीय समुदाय के किसानों को इबरयिन प्रतिस्पर्धा (विषेषतः तेल, सब्जियों, वाईन तथा नींबू जाति के फलों से) से तथा इबरियन किसानों को दालों, मीट तथा डेयरी उत्पादों की यूरोपीय समुदाय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि स्पेन तथा पुर्तगाल के प्रवेष के बाद यूरोपीय समुदाय के मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में 80 प्रतिषत की बढ़ोतरी हो जाएगी, अतः इन देषों को इस दस साल की अवधि में दूसरे सदस्य–राज्यों के मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों पर काफी सीमित अधिकार दिया गया। इसी तरह उत्तरोत्तर सांझे विदेषी सीमा शुल्क तथा कस्टम यूनियन अपनाने के लिए स्पेन तथा पुर्तगाल को 7 साल का संक्रामक समय दिया गया।

समग्र रूप से, प्रारंभ में स्पेन तथा पुर्तगाल के प्रवेष के आर्थिक निहितार्थ ग्रीस के प्रवेष से मिलते जुलते थे। तथापि यूरोपीय समुदाय के लिए इन देषों का प्रवेष ग्रीस की अपेक्षा थोड़ा आसान सिद्ध हुआ क्योकि 1980 के दषक के अंतिम वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियाँ थोड़ी सुधर चुकी थीं तथा यूरोपीय समुदाय की सदस्यता को इन देषों का भी भरपूर समर्थन मिला। परन्तु स्पेन तथा पुर्तगाल के प्रवेष ने यूरोपीय समुदाय के लिए नई कठिनाइयाँ खड़ी कर दीं तथा अन्य मेडिट्रेनियन देषों (Mediterranean countries) की चिन्ताओं को कम करने के लिए मिश्र और अल्जीरिया जैसे देषों के साथ नए व्यापार समझौते करने पड़े। यूरोपीय समुदाय में बजट को लेकर चल रही कठिनाइयों तथा

राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए चल रहे संघर्ष के दौरान 1985 में अगले विस्तार के बारे में निर्णय लिया गया। क्योंकि सभी भावी सदस्य–राज्यों की कृषि–अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी अतः उनके प्रवेष से समुदाय की कृषि लॉबी के सषक्त होने की संभावना थी जिसके परिणामस्वरूप सांझी कृषि नीति में किसी भी तरह के सुधार करने में कठिनाई आ सकती थी। परन्तु यूरोपीय समुदाय के इस विस्तृत आकार ने ब्रिटेन एवं डेनमार्क जैसे अनैच्छिक यूरोपीय (reluctant Europeans) देषों और यूरोपीय समुदाय के छः देषों के बीच पहले चल रहे तनावों के ऊपर एक "उत्तर–दक्षिण विभाजन" स्थापित कर दिया। दक्षिण यूरोप की तरफ यूरोपीय समुदाय का विस्तार मूलतः राजनीतिक कारणों से प्रेरित था और यह नई भूमि से घिरे हुए देषों के प्रजातंत्रों को सुदृढ़ करना चाहता था जो लम्बे समय से तानाषाही शासनों के अधीन रहे थे। इन राजनीतिक उद्देष्यों के साथ यूरोपीय समुदाय के समृद्ध केन्द्रों के आर्थिक हित भी जुड़े हुए थे जिन्हें इन निर्धन देषों के आर्थिक विकास से लाभ हो सकता है।

11.5 चौथा विस्तार (1995) : यूरोपीय समुदाय–12 से यूरोपीय संघ–15 तक

1 जनवरी 1995 को ऑस्ट्रिया, फिनलैण्ड तथा स्वीडन यूरोपीय संघ में शामिल हो गए जिससे यूरोपीय संघ 12 की संख्या बढ़कर यूरोपीय संघ 15 हो गई। इन तीनों देषों ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता मुख्यतः इसलिए प्राप्त की क्योंकि इन्हें डर था कि 1992 तक यूरोपीय समुदाय के एकल बाज़ार स्थापित हो जाने के बाद कहीं ये आर्थिक दृष्टिकोण से हाषिये पर न चले जाएँ। इन्हें लगा कि वे यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनकर, न कि बाहर रह कर, अपनी प्रभुसत्ता को बेहतर रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। 1990 के दषक में शीत युद्ध की समाप्ति ने इस सदस्यता को सरल बना दिया क्योंकि अब तटस्थता कोई अवरोध नहीं रह गई थी। बहिष्करण के इस डर ने स्वीटजरलैण्ड (26 मई 1992) तथा नार्वे (24 नवम्बर 1992) को भी आवेदन पत्र देने पर मज़बूर कर दिया। हालाँकि नार्वे के साथ प्रवेष के लिए समझौता वार्ता चलती रही, स्वीटरजरलैण्ड द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद उसे बर्फ में (frozen) लगा दिया गया।

प्रारंभ में यूरोपीय समुदाय का तर्क था कि व्यापकता लाने से पहले संघटन प्रक्रिया को गहरा करना तथा यूरोपीय संघ संधि की अनुमोदन प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। ऑस्ट्रिया, फिनलैण्ड तथा स्वीडन के साथ सम्मिलन संबंधित समझौता वार्ता (Accession negotiations) फरवरी 1993 में आरंभ हुई। जून 1994 में सम्मिलन संधि (Accession Treaties) पर हस्ताक्षर हुए। परन्तु इससे पहले कि नए प्रार्थी राज्य यूरोपीय संसद द्वारा इस नए स्वीकृत विस्तार में (मई 1994) शामिल हों, ऑस्ट्रिया (12 जून 1994), फिनलैण्ड (16 अक्टूबर 1994) तथा स्वीडन (13 नवम्बर 1994) में हुए जनमत संग्रहों के परिणामस्वरूप इन्हें भी स्वीकृति मिल गई। ये तीनों देष 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए। नार्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बन सका क्योंकि जनमत संग्रह में वहाँ की जनता ने इस सदस्यता के विरुद्ध मत दिया।

ऑस्ट्रिया तथा फिनलैण्ड तथा स्वीडन के सदस्य बन जाने के बाद व्यापक स्तर पर ऐसा माना जाने लगा कि इससे तीन क्षेत्रों के वृहतर विकास के लिए दबाव बढ़ेगा : पर्यावरण मानदण्डों में उन्नति, यूरोपीय संघ की संस्थाओं को और अधिक प्रजातांत्रिक, उन्मुक्त व पारदर्षी बनाना, तथा यूरोप की सुरक्षा में यूरोपीय संघ की वृहतर भूमिका। नए सदस्यों के लिए सबसे अधिक चिन्ता का विषय रूस के साथ सम्बन्धों का था क्योंकि फिनलैण्ड की रूस के साथ 1,600 किलोमीटर सांझी सीमा थी। इसके अलावा जिन अन्य विषयों में इनकी रूचि थी, वे थे : पूर्व यूगोस्लाविया में विवाद हल करने के लिए दबाव बनाए रखना, केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप में और अधिक स्थायित्व को प्रोत्साहन तथा बाल्टिक राज्यों के यूरोपीय संघ में प्रवेष के लिए प्रत्यन करना।

11.6 पाँचवा विस्तार (2004) : यूरोपीय संघ–15 से यूरोपीय संघ–25 तक

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप के देष (Central and East European Countries; CEECs), पष्चिमी आर्थिक एवं सुरक्षा संगठनों (यूरोपीय आर्थिक समुदाय समेत) के साथ जुड़ने की प्रबल इच्छा व्यक्त करते रहे हैं। केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप के देषों के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता का अर्थ था : (क) यूरोप में वापसी, (ख) आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा, तथा (ग) बाज़ार

पहुँच (market access) में सुधार तथा आर्थिक अनुदान का लाभ। परन्तु पूर्व यूरोपीय लोगों को जिन्हें आरंभ में यह लगा था कि यूरोपीय संघ की सदस्यता उनकी सारी समस्याओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी, उन्हें शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ हैं। जैसे–जैसे आर्थिक संकट गहराता गया तथा जीवन स्तर गिरने लगा, आम जनता का रोष भी बढ़ने लगा।

11.6.1 पूर्व–दिषा विस्तार के प्रति यूरोपीय संघ की नीति

पूर्व दिषा विस्तार के संदर्भ में यूरोपीय संघ "विभेदीकरण के सिद्धान्त" (principle of differentiation) की कार्यनीति अपना रहा है। इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देष को स्वयं अपने प्रयत्नों से, जितनी जल्दी हो सके, यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने की छूट दी गई और वह यूरोपीय संघ में तभी शामिल हो सकेगा, जब वह सभी शर्तों को पूरा कर लेगा। इस प्रक्रिया को अलग–अलग तरीके के समझौते करके तथा अलग–अलग एकपक्षीय उपायों द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है। भौगोलिक सन्निकटता (geographical proximity) तथा आर्थिक विकास के चरण पर निर्भर करते हुए, इन पूर्व यूरोपीय देषों के साथ यूरोपीय संघ ने निम्नलिखित तीन तरह के समझौते किए हैं:

– *यूरोप समझौते* (*Europe Agreements*) : ये पूर्वी यूरोप के संभावित आवेदकों के लिए तैयार किए गए। इन समझौतों का उद्देष्य व्यापार बाधाओं को कम करके, मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करके, राजनीतिक वार्तालाप के लिए एक ढाँचा स्थापित करके तथा सहयोग के लिए एक खाका तैयार करके संघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना था।

– *व्यापार तथा सहयोग समझौते* (*Trade and Cooperation Agreements*) : ये उन प्रार्थी देषों के लिए तैयार किए गए जो सदस्यता के भावी उम्मीदवार तो थे परन्तु जो यूरोपीय समझौते के दृष्टिकोण से अभी तैयार नहीं थे। इन देषों को यूरोपीय संघ के साथ व्यापार का दर्जा न देकर बहुत कृपापात्र राष्ट्र (Most Favoured Nation; MFN) का दर्जा दिया गया तथा इस्पात, कृषि तथा कपड़े जैसे संवेदनषील क्षेत्रों को व्यापार से बाहर रखा गया।

– सांझेदारी तथा सहयोग समझौते (*Partnership and Cooperation Agreements*) : इन समझौतों को 1992 में आरंभ किया गया। ये समझौते रषिया, यूक्रेन तथा कॉमनवेल्थ के स्वतंत्र राज्यों द्वारा अन्य देषों के साथ किए गए ताकि उन्हें यूरोपीय बाज़ारों तक पहुँच की सुविधा मिल सके।

1993 में यूरोपीय संघ संधि के अनुच्छेद ओ (O) में सदस्यता के लिए केवल एक शर्त थी कि वह "यूरोपीय राज्य होना चाहिए"। 1993 में कोपनहेगन यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए कुछ मूल मानदण्ड रेखांकित किए जैसे : (क) स्थायी संस्थाएँ जो प्रजातंत्र, कानून का शासन, मानवीय अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी दे सकें; (ख) एक कार्यात्मक बाज़ार अर्थव्यवस्था (functional market economy) तथा यूरोपीय संघ के अन्दर प्रतिस्पर्धा के दबावों तथा बाज़ार शक्तियों को सहन करने की क्षमता रखते हों; तथा (ग) यूरोपीय संघ की सदस्यता की शर्तों को पूरा करने की योग्यता जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और मौद्रिक संघ के उद्देष्य शामिल हैं। एमस्टरडम संधि के अनुच्छेद 6 में कुछ और बातें जोड़ी गई जैसे : "यूरोपीय संघ की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान, मूल स्वतंत्रताएँ तथा कानून के शासन के सिद्धान्त।"

यूरोपीय संघ उपरोक्त मानदण्डों को अपरिवर्तनषील मानता है। इस सम्बन्ध में किसी भी देष को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती, उसे इन सभी शर्तों को मानना ही होगा। नए सदस्यों की सम्मिलन संधि पर पुराने 15 सदस्य–देशों की सर्वसहमति का आषय है कि ये सभी सरकारें अपने देष के जनमत के आम समर्थन के संदर्भ में विस्तार के प्रति कटिबद्धताओं की अच्छी तरह जाँच–परख कर लें।

1994 तथा 1996 के बीच सभी पूर्वी यूरोपीय देषों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदनपत्र दिया। दिसम्बर 1997 में यूरोपीय आयोग ने इन आवेदकों की "यूरोपीय संघ के मानदण्डों को पूरा करने में हुई प्रगति का सर्वेक्षण किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दस में से केवल पाँच देष (हंगरी, पोलैण्ड, चेक गणराज्य, इस्टोनिया तथा स्लोवेनिया) ने संतोषजनक प्रगति की है और उन्हें सदस्यता के लिए समझौता वार्ता आरंभ करने के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। नवम्बर 1998 में, प्रत्येक प्रार्थी देष की पहली

सम्मिलिन के लिए प्रगति पर नियमित रिपोर्ट सम्मिलन (accession) के संदर्भ में (Regular Report on Progress towards Accession) यूरोपीय आयोग ने अन्य पाँच देषों के साथ (बल्गारिया, लेताविया, लिथूआनिया, रोमानिया तथा स्लोवाकिया) समझौता वार्ता आरंभ करने की सिफारिष नहीं की। तथापि दिसम्बर 1999 में हेलसिंकी में यूरोपीय आयोग ने परिषद को यह सिफारिष की कि सन् 2000 में इन बचे हुए पाँच पूर्व यूरोपीय राज्यों के साथ सम्मिलन के लिए समझौता वार्ता आरंभ की जाए।

2001 के नाईस षिखर सम्मेलन में यह आषा प्रकट की गई कि जिन पाँच देषों ने संतोषजनक प्रगति कर ली है, उनके साथ विस्तार सम्बन्धी समझौता वार्ता 2002 तक खत्म हो जानी चाहिए ताकि 2004 में आरंभ होने वाले अन्तर्सरकारी सम्मेलन से पहले कुछ देष अपनी सम्मिलन प्रक्रिया को पूरा करने के योग्य हो जाएँ।

11.6.2 पूर्व दिषा विस्तार की समस्याएँ

पूर्व दिषा विस्तार के राजनीतिक, आर्थिक तथा कानूनों के परिणामों का आकार इतना विषाल एवं व्यापक है कि यह यूरोपीय संघ के उद्देष्यों तथा यूरोपीय संघ की संस्थाओं की कार्य प्रणाली के लिए कई मूल समस्याएँ खड़ी करता है।

विस्तार का अर्थ होगा यूरोपीय संघ के व्यय बजट में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी। यह यूरोपीय संघ की प्रमुख नीतियों – कृषि, संरचनात्मक निधि, व्यक्तियों का आवागमन, संस्थागत सुधार, आदि – को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। क्योंकि ऐसे संवेदनषील विषयों पर सहमति जुटाना काफी कठिन हैं अतः इनके लिए एक लम्बी अवधि के संक्रामक काल की आवष्यकता पड़ सकती है।

अतीत में भी यूरोपीय संघ पर विस्तार के बहुपक्षीय प्रभाव रहे हैं तथा भविष्य में भी विस्तार वर्तमान यूरोपीय संघ की संस्थाओं एवं ढाँचों में परिवर्तन तथा पुनः प्रतिरूपण की माँग कर सकता है। और अधिक विस्तार यूरोपीय संघ के संस्थागत ढाँचों तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उग्रवादी परिवर्तनों तथा समायोजनों को जन्म दे सकता है। निर्णय–निर्माण

प्रक्रिया में बिना किसी सुधार के और अधिक विस्तार यूरोपीय संघ को पंगु भी बना सकता है।

25 अथवा इससे अधिक सदस्य–देशों को परिवद्धित यूरोपीय संघ की एक दीर्घकालीन चुनौती यह भी है कि इसमें बड़े देषों (जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली) की अपेक्षा छोटे एवं अपेक्षाकृत गरीब देषों की संख्या काफी अधिक हो जाएगी। इसी तरह विदेषी तथा सुरक्षा हितों एवं दृष्टिकोणों में भी परिवद्धित यूरोपीय समुदाय काफी विषमांग (hetergeneous) होगा।

विस्तार के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ की कृषि योग्य भूमि में 50 प्रतिषत तथा कृषि श्रम शक्ति में 100 प्रतिषत बढ़ोतरी होने की उम्मीदें थीं। इससे अकुषल एवं विकृत सांझी कृषि नीति के बजट व्यय में ठोस बढ़ोतरी करने की आवष्यकता भी थी। इन नए प्रवेष पाने वाले राज्यों की 22 प्रतिषत जनसंख्या कृषि में रत है जबकि यूरोपीय संघ में यह केवल 5 प्रतिषत है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि पहले से चल रहे फ्रांस तथा स्पेन के आर्थिक सहायता वाले क्षेत्रों के साथ कुछ अकुषल कृषि क्षेत्र और जुड़ जाएँगे। नए सदस्य–राज्यों के लिए प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन करने के तनाव भी विषेषकर अतिरिक्त श्रमिकों की छंटनी करने के संदर्भ में बहुत चिन्ताजनक होंगे। कार्यसूची 2000 के परिणामस्वरूप, सांझी कृषि नीति में सुधार के नाम पर वर्तमान स्थिति में न्यूनतम समायोजन किए गए हैं ताकि विस्तार की प्रक्रिया संभव हो सके। नए सदस्यों को इसमें स्थान दे दिया गया है परन्तु उन्हें अनुदान व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा, वे केवल संरचनागत व्यय में कुछ क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।

परिवर्द्धन (enlargement) की एक अन्य प्रमुख समस्या देषान्तर को लेकर रही है। ऐसी चिन्ताएँ प्रकट की गईं कि पूर्वी यूरोपीय देषों के सम्मिलन से पष्चिमी यूरोप के श्रम बाज़ार में कुषल श्रमिकों की बाढ़ आ जाएगी। श्रमिकों का मुक्त आवागमन एक भावनात्मक तथा राजनीतिक मुद्दा है, विषेषतः इस संदर्भ में कि पष्चिमी यूरोप के देषों में ग़ैर–संरचनागत (non-structural) बेकारी का स्तर काफी ऊँचा है।

पूर्व दिषा विस्तार से यूरोपीय संघ में आर्थिक व्यवस्था, सरकारी तथा प्रषासनिक संरचनाओं में समन्वय करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ भी काफी गंभीर है। विषेषतः इनमें 60,000 पृष्ठों के वे कानूनी दस्तावेज़ हैं जिन्हें राष्ट्रीय कानूनों में परिवर्तित करने की आवष्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी शर्त इन कानूनों को लागू करना एवं इनका कार्यान्वयन है जो यूरोपीय संघ के साथ राजनीतिक समन्वय की संघटित एवं जटिल प्रक्रिया की माँग करता है। बाद में सम्मिलित हुए छोटे पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कमजोर एवं छोटे राज्यों को पुराने प्रवेष किए गए देशों के मुकाबले इन कानूनों को अधिक बारीकी तथा प्रभावषाली ढंग से पालन करना है। इन पूर्वी यूरोपीय राज्यों द्वारा यूरोपीय संघ के सामाजिक घोषणापत्र तथा पर्यावरण के क्षेत्रों से संबंधित कानूनों को अपनाने की योग्यता तथा सामर्थ्य के प्रति कई प्रकार की शंकाएँ हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक खर्चे की आवष्यकता है। जैसा कि अनेक देशों ने षिकायत की, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूरोपीय संघ के कानूनों में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि पूर्वी यूरोपीय देषों के राष्ट्रीय कानून उनके साथ एकीकृत होने में असमर्थ हो रहे हैं।

11.6.3 पूर्व दिषा विस्तार का आषय

पूर्व दिषा विस्तार ने यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार में 5.7 करोड़ लोगों (जो वर्तमान जनसंख्या का 15 प्रतिषत है) की वृद्धि की है तथा इसके सकल घरेलू उत्पादन में 300 बिलियन यूरो का इजाफा किया है। पूर्व दिषा विस्तार ने संसाधनों के आवंटन को लेकर फ्रांस एवं स्पेन की महत्वाकांक्षी मैडिट्रेनियन नीति तथा जर्मनी के नेतृत्व में उत्तरी हितों के बीच विवाद को तेज कर दिया है।

पूर्व दिषा विस्तार पर यूरोपीय संघ की नीति की पूर्वी यूरोप में इन आधारों पर आलोचना की गई हैः (1) यूरोपीय संघ में सुस्पष्ट सामरिक दूरदर्षिता तथा उद्देष्य का अभाव रहा है। (2) यूरोपीय संघ ने स्पष्टतः पुरस्कार (सदस्यता तथा कई प्रकार की सहायता) तथा सजा (अर्थव्यवस्था का एकीकरण, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का संरक्षण, तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विजय पाना आदि) की नीति अपनाई है और बहुत गंभीर शर्तें लगाई हैं। (3)

यूरोपीय संघ के हितों के अनुरूप हुए सम्मिलन समझौते असमान (asymmetrical) हैं, यूरोपीय संघ ने आवेदक की विकास अवस्था के ऊँचे मानदण्ड निर्धारित किए हैं यद्यपि सभी वर्तमान सदस्य भी इन मानदण्डों को पूरा नहीं कर सके हैं। (4) यूरोपीय संघ की नीतियाँ अल्पकालिक, न की दीर्घकालीन, हितों तथा विचारों से प्रभावित रही हैं। अतः विस्तार अनिवार्यतः एक विषम प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान सदस्य चालक की सीट पर बैठे हैं और वे नए आवेदक देषों की सदस्यता की समयसारिणी तथा शर्ते दोनों का फैसला करते हैं।

पाँचवाँ विस्तार पहले सभी विस्तारों से तीन तरीकों से भिन्न थाः (1) इसने केन्द्रीय एवं पूर्व–यूरोपीय देषों में प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने तथा मुक्त बाज़ार की स्थापना को आसान बनाने के लिए विस्तार के यंत्र का प्रभावषाली ढंग से प्रयोग किया; (2) इसने पहली बार एक ही समय में सबसे अधिक देषों (10) का प्रवेष एक साथ किया; तथा (3) वर्तमान सदस्य–देश नए सदस्य–देषों को सारी प्रतिबद्धताएँ, विषेषतः वित्तीय, तुरन्त देने में अनिच्छुक थे।

11.7 जर्मनी तथा पूर्व दिषा विस्तार

पूर्वी यूरोपीय देषों के यूरोपीय संघ में प्रवेष का जर्मनी प्रमुख प्रवक्ता, समर्थक तथा पहल करने वाला देष रहा है ताकि कठिन संक्रामक काल से गुजर रहे अस्थिर पूर्वी यूरोप में स्थिरता लाई जा सके, जातीय दंगों को रोका जा सके तथा उन क्षेत्रों से देषान्तर (mirgration) रोका जा सके। पुराने विस्तारों की तरह, जर्मनी को आषा है कि पूर्व दिषा विस्तार प्रमुख विषिष्ट समूहों के राजनीतिक मूल्यों एवं आषाओं को उदारवादी–प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के अनुरूप आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वित्तीय सहायता, मानवीय मदद तथा निर्यात ऋण में जर्मनी का योगदान बाकी सभी सदस्य–राज्यों से कहीं बढ़कर है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह पूर्व यूरोपीय बाज़ारों में विषिष्ट पहुँच को सुनिष्चित करना चाहता है। जर्मनी पूर्वी यूरोप के अधिकतर पड़ोसी राज्यों का प्रमुख व्यापार भागीदार तथा निवेषक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर चुका है। विस्तार से पूर्व, जर्मनी बजट में वित्तीय योगदान के बोझ को उचित तरीके से वहन करने, बजट संबंधित

अनुषासन तथा जर्मनी के व्यापार विवरण (return flows) को सुधारने पर बल देता रहा है।

11.8 छठा विस्तार : यूरोपीय संघ–25 से यूरोपीय संघ–27 की ओर

रोमानिया तथा बल्गारिया ने 25 अप्रैल 2006 को सम्मिलन संधि पर हस्ताक्षर किए। अक्तूबर 2006 में इस बात का निर्णय लिया गया कि क्या इन देषों ने शेष सुधारों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये दोनों देष 1 जनवरी 2007 को यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए। इस सम्मिलन के परिणामस्वरूप, 2007–2009 की अवधि में रोमानिया को 11 अरब तथा बल्गारिया को 4 अरब यूरो की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रोमानिया तथा बल्गारिया के प्रवेष के बाद, यूरोपीय संघ 25 देशों की 45.4 करोड़ की जनसंख्या में 3 करोड लोगों की और वृद्धि हो जाएगी तथा यूरोपीय संघ की सीमाएँ मोलडोवा तथा काला सागर तक पहुँच जाएगी।

11.8.1 यूरोपीय संघ की टर्की की सदस्यता

टर्की जिसने यूरोपीय समुदाय के साथ बहुत पहले 1963 में एक संयोजन समझौते **(Association Agreement)** पर हस्ताक्षर किए थे, को भविष्य में मैडिट्रेनियन दिषा में विस्तार के एक पक्ष के रूप में देखा गया था क्योंकि समझौते में 1995 में टर्की को पूर्ण सदस्यता देने का प्रावधान किया गया था। परन्तु इससे पहले कि समझौते के अनुसार टर्की के श्रमिक 1 दिसम्बर 1986 से यूरोपीय संघ के सदस्य–राज्यों तक उन्मुक्त पहुँच की सुविधा का लाभ उठा सके, यूरोपीय समुदाय के विदेषमंत्रियों ने घोषणा कर दी कि यह प्रावधान कानूनी दृष्टिकोण से बाध्यकारी नहीं है। जब 1989 में टर्की ने पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया तो इसकी सदस्यता नामन्जूर कर दी गई। इसके मुख्य कारण : (1) जर्मनी की तीव्र प्रतिक्रिया क्योंकि उसे डर था कि टर्की के श्रमिकों की यूरोपीय समुदाय में बाढ़ आ जाएगी, (2) इस्लाम तथा कुर्द अधोराष्ट्रवाद, जिन दोनों के यूरोपीय होने का दावा विवादास्पद था। तथापि यूरोपीय संघ ने टर्की के साथ सम्बन्ध सषक्त करने के गंभीर प्रयत्न किए जिनमें 1995 की कस्टम यूनियन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था।

यूरोपीय संघ ने टर्की के सम्मिलन के लिए वही प्रतिबद्धता तथा विस्तार नीति के लिए वहीं मानदण्ड लागू करने की दृढ़ता नहीं दिखाई जो इसने केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोपीय राज्यों के सम्मिलन के संदर्भ में दिखाई थी। 16 दिसम्बर 2004 में यूरोपीय संघ के सदस्य–राज्य 3 अक्टूबर 2005 से टर्की के साथ सम्मिलन समझौता वार्ता आरंभ करने के लिए राजी हो गए। परन्तु कई तरह की चिंताएँ बनी रही जैसे टर्की की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था की यूरोपीय संघ के प्रतिमानों के साथ संरेखण, मानवीय अधिकारों का मुद्दा, घरेलू राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, ग्रीस के साथ साईप्रस तथा एजीअन समुद्र के मुद्दे को हल करना (जिसकी आपत्ति ने यूरोपीय संघ को टर्की की सदस्यता में विलम्ब करने का बहाना दे दिया) आदि थे। परिणामस्वरूप टर्की को यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने में अभी दस साल का समय लग सकता है।

11.9 भावी विस्तार

मई 2005 में फ्रांस तथा अगले महीने में नीदरलैण्ड में जनमत संग्रह द्वारा यूरोपीय संघ सांविधानिक संधि की अस्वीकृति ने यूरोप में विस्तार के प्रति थकान (enlargement fatigue) का वातावरण बना दिया है। इसके अतिरिक्त 2004 में हुए विस्तार के परिणामों को आत्मसात करने में भी यूरोप के नागरिक कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। तथापि बल्कान देषों के मध्यावधि में ही यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने की संभावना काफी अधिक है। इसके दो कारण हैंः (क) इन देषों की अर्थव्यवस्थाएँ अपेक्षाकृत छोटी हैं, तथा (ख) यूरोपीय महाद्वीप के बीच में इन्हें एक काले धब्बे की तरह छोड़ देना उचित नहीं है। क्रोषिया (जिसने 2003 में सदस्यता के लिए आवेदनपत्र दिया था) के साथ समझौता वार्ता आरंभ होने का भी आसार है जबकि सर्बिया, बोसनिया तथा मैसेडोनिया यूरोपीय संघ के साथ सम्मिलन प्रक्रियाएँ आरंभ करने जा रहे हैं। पष्चिमी यूरोप के तीन देष (आईसलैण्ड, स्वीटज़रलैण्उ तथा नार्वे) अभी भी यूरोपीय संघ से बाहर हैं। पुराने सोवियत संघ के तीन पष्चिमी यूरोपीय सदस्यों – बेलारूस, मोलडोवा तथा यूक्रेन – ने अन्ततोगत्वा यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की है। परन्तु अभी इसके आसार काफी कम हैं। ऐसा संभव है कि अपने पड़ोसी क्षेत्रों में स्थायित्व लाने के लिए यूरोपीय संघ सम्पूर्ण

सदस्यता के कुछ विकल्पों का विकास कर सकता है। उदाहरण के लिए बारसेलोना प्रोसें (the Barcelona Process) (जिसे 1995 में आरंभ किया गया) व्यापक यूरो – मैडिट्रेनियन भागेदारी (Euro-Mediterranean partnership) का विकास करना चाहता है जिसमें 2010 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना शामिल हैं, ताकि देषान्तर के दबाव को रोका जा सके।

11.10 सारांष

इस इकाई में हमने इस बात का अध्ययन किया कि किस तरह यूरोपीय आर्थिक समुदाय/यूरोपीय संघ मूल 6 सदस्यों से बढ़कर 2007 में 27 सदस्य–राज्यों की संस्था बन गया। हमने यह भी ध्यान दिया कि विस्तार की इस प्रक्रिया का पुराने सदस्य–राज्यों तथा नए प्रवेषकों पर गंभीर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। विस्तार से यूरोपीय संघ के आकार, जनसंख्या, भूमि तथा सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है। विस्तृत आंतरिक बाज़ार सामान्यतया नए सदस्य–राज्यों में व्यापार, आर्थिक विकास तथा समृद्धि लाता है। विस्तार की प्रक्रिया ने यूरोप की राजनीतिक गतिषीलता में परिवर्तन कर दिया है। यूरोपीय समुदाय का यह परिवर्द्धन विष्व राजनीति में इसकी वृहत भूमिका निभाने की संभावना बढ़ा देता हे। परन्तु साथ ही यह विस्तार वृहतर विभिन्नता तथा विषमता को भी जन्म देता है। इस विस्तार ने अपेक्षाकृत अधिक विविध तथा विषम यूरोपीय संघ को जन्म दिया है जिसमें छह (फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्रिटेन तथा पोलैण्ड) बड़े राज्य है तथा 21 छोटे राज्य। यह निर्णय–निर्माण प्रक्रिया को मुष्किल बना देता है जिसके चलते फैसले लेते समय कई बार सदस्य–देषों में गुटबाजी भी देखने को मिलती है। विस्तार ने यूरोपीय एकीकरण की गति तथा विषयवस्तु में फ्रांस तथा जर्मनी के प्रभाव को कम कर दिया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में होने वाला सहयोग अपेक्षाकृत अधिक वर्द्धित, लचीला तथा विषिष्टीकृत सहयोग पर आधारित होगा।

विस्तार ने यूरोपीय संघ की अस्मिता, सम्बद्धता, प्रभाव तथा सीमाओं को लेकर भी बहस छेड़ दी है। विस्तार ने यह प्रष्न भी उठाया है कि यूरोप की सीमाएँ आखिरकार कहाँ जा कर रूकेंगी। ऐसे प्रष्न भी उठाए गए हैं कि क्या यूरोपीय संघ को किसी आवेदक देष के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधारों पर भेदभाव करना चाहिए? विस्तार

का अर्थ है यूरोपीय संघ अपनी सीमाओं के इर्द–गिर्द होने वाली घटनाओं में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहे, सांझी बाहरी सीमाएँ सुनिष्चित पर शामिल रहे तथा पड़ोसी क्षेत्रों की आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में स्थायित्व सुनिष्चित करने का इच्छुक हो। 11 सितम्बर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा मामले काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक विविध तथा विषम यूरोपीय संघ की रचना सांझी विदेष एवं सुरक्षा नीति के अनुसरण को थोड़ा मुष्किल बना सकती है।

11.11 अभ्यास प्रष्न

1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय का 6 से 15 सदस्य–राज्यों तक विस्तार का वर्णन कीजिए।

2) यूरोपीय संघ के पूर्व दिषा विस्तार के मुद्दों तथा समस्याओं का विष्लेषण कीजिए।

3) टर्की के यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के क्या आसार हैं?

4) विस्तार की भावी संभावनाएँ क्या हैं?

11.12 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

जैन, राजेन्द्र के., "ईस्टवार्ड इंलार्जमेंट ऑफ दी यूरोपीय यूनियन : ईस्ट यूरोपीय पर्सेप्षन्स", *इंडिया क्वार्टरली,* (नई दिल्ली : विष्व मामलों की भारतीय परिषद) खण्ड 57, संख्या 1, जनवरी–मार्च 2001, पृष्ठ 177–198।

नुगेन्ट, नील, (संपा), *यूरोपियन यूनियन इंलार्जमेंट,* हाउंडमिल्स : पालग्रेव मैकमिलन, 2004।